संख्याः 21 /1-11-2018-11(जी)/2017

प्रेषक

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में

राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश सचिवालय,
बापू भवन, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-11 लखनऊः दिनांकः 16 जनवरी, 2018

विषयः- उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण एवं जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण को आपदा प्रबन्ध के क्षेत्र में सुदृढ किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण एवं 28 जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण को आपदा प्रबन्ध के क्षेत्र में सुदृढ किये जाने हेतु रू0 1,61,60,000/- रूपये (एक करोड़ इक्सठ लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

A. State Disaster Management Authority (SDMA)
   i. Hiring of 3 Human Resources (HR) professional @ Rs. 50,000/- per month for Disaster Management.
   ii. Administrative cost for advertisement, equipment, domestic travel and contingency @ Rs. 4.00 lakh per financial year.

B. District Disaster Management Authority (DDMA)
   i. Hiring of one HR professional @ Rs. 40,000/- per month for each of the selected DDMAs in the State as mentioned in the MoU.
   ii. Administrative cost for advertisement, equipment, domestic travel and contingency @ Rs. 2.00 lakh per financial year for each selected DDMAs.

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत- आयोजनेत्तर-80-सामान्य -800-अन्य व्यय-06- उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के -20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- इस धनराशि का व्यय राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध् प्राधिकरण द्वारा योजना हेतु निर्धारित गाइड लाइन एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया

Scanned by CamScanner

जायेगा। इस धनराशि का उपयोग केवल उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृत किया गया है। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

4- उक्त राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

8- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

9- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-: 21 (1)/ 1-11-2018-11(जी)/2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, उ0प्र0।
5- परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
7- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
8- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
9- राजस्व अनुभाग-10,
10- राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5/गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

Scanned by CamScanner